

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
लघु डाल नहर खण्ड, बॉदा

अति अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या- 05/ल0डा0न0ख0बॉ0/2018-19

महामहिम राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा वर्गीकृत श्रेणी में सिंचाई विभाग, उ0प्र0 में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 12-12-2018 को अपरान्ह 12:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, जो दिनांक 12-12-2018 को अपरान्ह 03:00 बजे अधिशासी अभियन्ता लघु डाल नहर खण्ड बॉदा के कार्यालय में निविदा समिति/अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी। कार्य सम्बन्धित विवरण एवं निविदा प्रपत्र, कार्य की शर्तों एवं Specification के साथ दिनांक- 06-12-2018 से 11-11-2018 तक किसी भी कार्य दिवस में नकद मूल्य देकर प्राप्त किये जा सकते हैं। दिनांक 11-12-2018 को सांय 04:00 बजे के बाद कोई भी निविदा नहीं बेची जायेगी। कार्यालय बन्द होने अथवा अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यदिवस में उसी समय खोली जायेगी।

क्र0 सं0	लाट सं0	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रू0 में)	प्रतिभूति धनराशि (रू0 में)	कार्य को पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य जी0एस0टी0 स्टेशनरी शुल्क	पंजीकृत श्रेणी
1		2	3	4	5	6	7
1.	1	बॉदा जिले मे ग्राम कनवारा बांगर, ब्लाक बड़ोखर खुर्द, करिया नाला के पास पम्प नहर के कम्पाउण्ड मे पेंन्टिंग रोड से नदी तक रास्ता बनाने का कार्य	9.50	19000.00	01 माह	766.00	सिविल श्रेणी में 'सी' व उच्च
2.	2	बॉदा जिले मे ग्राम कनवारा बांगर, ब्लाक बड़ोखर खुर्द, करिया नाला के पास पम्प नहर के कम्पाउण्ड मे हेड से नदी तक कच्चा स्लोप बनाने का कार्य	9.60	20000.00	01 माह	766.00	सिविल श्रेणी में 'सी' व उच्च
3.	3	बॉदा जिले मे ग्राम कनवारा बांगर, ब्लाक बड़ोखर खुर्द, करिया नाला के पास पम्प नहर के कम्पाउण्ड मे हेड से कृषि विश्वविद्यालय बॉदा तक पाइप लाइन बिछाने हेतु समतलीकरण का कार्य बनाने का कार्य	9.90	20000.00	01 माह	766.00	सिविल श्रेणी में 'सी' व उच्च

- निविदा के साथ निर्धारित धरोहर धनराशि केवल राष्ट्रीय बचत-पत्र अथवा अन्य निर्धारित राष्ट्रीयकृत बैंक की सी.डी.आर./एफडी.आर. के रूप में स्वीकार होगी जो अधिशासी अभियन्ता, लघु डाल नहर खण्ड, बॉदा के नाम से बंधक होगी। निविदा के साथ धरोहर धनराशि तथा रू0- 100.00 का स्टैम्प पेपर 1.00 रू0 के रेवेन्यु टिकट के निविदा वैद्यता की अवधि अंकित कर संलग्न करना होगा।
- ठेकेदार के निविदित्त दरों की वैद्यता तीन माह तक होगी। निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी/समिति को सुरक्षित होगा। ठेकेदार को सुझाव दिया जाता है कि निविदा देने के पूर्व कार्य स्थल पर कार्यों का भली-भाँति निरीक्षण कर लें।

3. निविदा के साथ सिचाई विभाग की निर्धारित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (ITD-1), हैसियत प्रमाण पत्र (ITD-2), स्वघोषणा शपथ पत्र (ITD-3) के समस्त अभिलेखों की सत्यापित प्रति कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। टेक्निकल बिड खोलने के उपरान्त जमा किये गये समस्त अभिलेखों की मूलप्रति सत्यापन हेतु कार्यालय में जमा करनी होगी।
4. कार्य तत्कालिक प्रवृत्ति के है तथा निर्धारित अवधि में पूर्ण कराये जाने अनिवार्य हैं। विलम्ब होने अथवा राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न होने की दशा में पेनाल्टी/बीजक से कटौती तथा पंजीकरण निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
5. कार्य-स्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिये ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
6. इस निविदा को निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
7. यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने व निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गई हो, तो ऐसे ठेकेदारों के साथ यदि अनुबंध हो भी गया है तो उसके साथ किया गया अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।
8. कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रक्रिया में भाग न ले सकेंगे।
9. यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध अनुबंध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असमयक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम निविदा की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।
10. विशेष परिस्थितियों में निविदा खोलने की तिथि/समय म यदि कोई परिवर्तन होता है, तो इसकी सूचना नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करा दी जायेगी।
11. अनुबंध गठित होने के पश्चात भी यह तथ्य संज्ञान में आता है कि किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन किया गया है, तो ऐसे अनुबंध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त कर दिया जायेगा।
12. अन्य शर्तें एवं कार्य स्थल का विवरण निविदा प्रपत्र में संलग्न है।
13. शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 आडिट/08टी0सी0 दिनांक-08.06.2012 के अनुसार कार्यों की विभागीय दरों से ठेकेदारों द्वारा 1 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक दर कम देने पर 0.5 प्रति 1 प्रतिशत कमी पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक दरों में कमी पर प्रति 1 प्रतिशत कमी पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त परफारमस गारन्टी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि देय होगी। उक्त धरोहर धनराशि अनुबन्ध के समय जमा करने की बाध्यता होगी। अन्यथा निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा नहीं किये जाने पर उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
14. शासनादेश संख्या-1862/16-27-सिं-3-08टी/84, दिनांक 14-12-2016 के अनुसार एक निविदादाता एक कार्य की केवल एक ही निविदा क्रय कर सकेगा व डाल सकेगा।
15. शासनादेश संख्या-383/36-2-2010 श्रम अनुभाग-2, दिनांक-26-02-2010 द्वारा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन नियमावली-2009 के अर्न्तगत ठेकेदार को श्रम विभाग में किये जाने वाले उक्त कार्य का पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है।

(शरद चौहान)
अधिसासी अभियन्ता
लघु डाल नहर खण्ड, बॉदा